## ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में, सीवरेज स्कीमों, शहरी स्थानीय निकायों, सर्व शिक्षा अभियान, इंदिरा आवास योजना तथा सहकारिता विभाग के कार्यचालन पर पांच निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा अधिक/अनियमित/ निष्फल व्यय, निधियों के विपथन एवं परिहार्य भुगतान इत्यादि से संबंधित ₹ 1,953.20 करोड़ से आवेष्टित 21 अनुच्छेद शामिल हैं। कुछ मुख्य परिणाम नीचे उल्लिखित हैं।

## निष्पादन लेखापरीक्षा

**'सीवरेज स्कीमों'** की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। कुछ मुख्य परिणाम नीचे दिए गए हैं:

- राज्य में 1188.53 मिलियन लीटर प्रतिदिन सृजित सीवेज में से केवल 598.34 मिलियन लीटर प्रतिदिन (50 प्रतिशत) शुद्ध किया गया था।

*(पैराग्राफ 2.1.6.1)*

- मार्च 2013 तक 158 अधूरी शहरी सीवरेज स्कीमों पर ₹ 323.96 करोड़ का व्यय था। इनमें से 41 स्कीमें गत तीन से 8 वर्षों से पूर्णता की प्रतीक्षा कर रही थी।

*(पैराग्राफ 2.1.8)*

- ₹ 5.48 करोड़ की लागत पर निर्मित बावल कस्बे का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निष्क्रिय रहा तथा रेवाड़ी जिले में कोसली कस्बे के लिए सीवरेज स्कीम ₹ 9.15 करोड़ खर्च करने के बाद दिसंबर 2009 से परित्यक्त पड़ी थी।

*(पैराग्राफ 2.1.10.1)*

- यद्यपि गन्नौर कस्बे के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को 30 सितंबर 2010 को पूर्ण दिखाया गया था फिल्टर मीडिया के बिना चल रहा था, जिसके परिणामस्वरूप वेस्टवाटर शुद्धिकरण के बिना छोड़ा जा रहा था।

*(पैराग्राफ 2.1.10.3)*

- फरीदाबाद में 200 मिलियन लीटर प्रतिदिन वेस्टवाटर के जनन के विरूद्ध केवल 94 मिलियन लीटर प्रतिदिन वेस्ट वाटर शुद्ध किया गया था जबकि शुद्धिकरण की क्षमता 160 मिलियन लीटर प्रतिदिन थी।

*(पैराग्राफ 2.1.11.2)*

- यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत निर्मित 18 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का कार्यचालन स्तरीय नहीं था क्योंकि इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों के 232 सैंपलों में से 229 सैंपल मानकों से कम पाए गए थे।

*(पैराग्राफ 2.1.11.5)*

**'शहरी स्थानीय निकायों के कार्यचालन'** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी, कुछ मुख्य परिणाम नीचे दिए गए है:

- नगरपालिकाएं, उनके आरंभ से बैलेंस शीट के रूप में वार्षिक लेखे तैयार नहीं कर रही थी, परिणामस्वरूप कार्यकलापों के बारे में सही और निष्पक्ष धारणा नहीं बनाई जा सकी।

***(अनुच्छेद 2.2.7.1)***

- दस नगरपालिकाओं ने विनियमित की गई कालोनियों के मकान मालिकों से दिसंबर 2004 से ₹ 170.41 करोड़ की राशि के विनियमन प्रभार वसूल नहीं किए थे।

***(अनुच्छेद 2.2.8.1)***

- तेरह नगरपालिकाओं ने स्वच्छता उद्देश्य के लिए बाह्य जनशक्ति पर जुलाई 2012 से मार्च 2013 के दौरान ₹ 1.95 करोड़ की राशि के सेवा शुल्क से छूट प्राप्त नहीं की थी।

***(अनुच्छेद 2.2.8.3 )***

- ₹ 101.82 करोड़ की राशि, स्थापना शुल्क (₹ 0.73 करोड़) तथा संचार टावरों का नवीकरण शुल्क (₹ 1.58 करोड़), फायर टैक्स सहित गृह कर (₹ 95.82 करोड़) तथा नगरपालिका की दुकानों के किराए (₹ 3.69 करोड़) के कारण बकाया थी।

***(अनुच्छेद 2.2.8.6 )***

- छ: नगरपालिकाओं में 31 मार्च 2013 को सरकारी विभागों, अधिकारियों/कर्मचारियों, ठेकेदारों इत्यादि के विरूद्ध ₹ 274.48 करोड़ की राशि के अस्थाई अग्रिम लंबित थे।

***(अनुच्छेद 2.2.8.6 )***

- योजना तथा समन्वय की कमी के कारण रतिया कस्बे की गलियों में सीमेंट कंकरीट/इंटरलाकिंग टाइलें लगाने तथा ड्रेनों के निर्माण पर किया गया ₹ दो करोड़ का व्यय व्यर्थ हो गया था। नगर निगम, हिसार ने अप्राधिकृत कालोनियों में विकास कार्यो पर ₹ 5.06 करोड़ व्यय किए थे।

***(अनुच्छेद 2.2.9.4 )***

**'सर्व शिक्षा अभियान'** की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। कुछ मुख्य परिणाम नीचे दिए गए हैं:

- ज्ञान वृद्धि कार्यक्रम की सही ढंग से आयोजना न करने के कारण ₹ 15.12 करोड़ की बजट राशि में से केवल ₹ 1.23 करोड़ 2008 – 13 के दौरान खर्च किए गए।

***(अनुच्छेद 2.3 .6.3 )***

- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बजट के विरूद्ध 2008 – 2013 के दौरान ₹ 1,501.59 करोड़ (34.86 प्रतिशत) की अत्यधिक बचत थी।

*(अनुच्छेद 2.3.7.1)*

- 2008 – 2013 के दौरान प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन 14.55 लाख से 13.44 लाख तक घट गया था। स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 1.25 लाख थी जबकि लक्ष्य इसे शून्य तक लाने का था।

*(अनुच्छेद 2.3.8.1 तथा 2.3.8.2)*

- विद्यार्थियों को पुस्तकें और वर्दियां प्रदान करने में बहुत ज्यादा विलंब हुआ। आगे, पुस्तकों की आपूर्ति के लिए संविदा करारनामे में जोखिम एवं लागत क्लॉज के न होने से विभाग को ₹ 5.90 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था।

*(अनुच्छेद 2.3.8.5 तथा 2.3.8.6)*

- 40,472 निर्माण कार्यों में से कुल 32,504 (80.31 प्रतिशत) निर्माण कार्य 2008 – 13 के दौरान पूरे किए गए थे। आगे, 2003 – 07 की अवधि से संबंधित 468 सिविल निर्माण कार्य अधूरे रहे।

*(अनुच्छेद 2.3.9)*

- प्राथमिक स्कूलों और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 72,446 पदों के विरूद्ध 54,063 अध्यापक थे, जो 18,383 (25 प्रतिशत) अध्यापकों की कमी को दर्शाती है। आगे, कुछ जिलों में अध्यापक अधिक थे और अन्य जिलों में कमी थी।

*(अनुच्छेद 2.3.10.1)*

**'इंदिरा आवास योजना'** की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। कुछ मुख्य परिणाम नीचे दिए गए हैं:

- माननीय पंजाब एवं हरियाणा, उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद 470 अपात्र व्यक्तियों को दी गई ₹ 1.74 करोड़ की वित्तीय मदद को वसूल नहीं किया गया।

*(अनुच्छेद 2.4.6.4)*

- चालीस लाभग्राही, जिनके पास पहले ही पक्के मकान थे, को ₹ 15.88 लाख की राशि की सहायता दी गई।

*(अनुच्छेद 2.4.6.5)*

- 93,690 घरों के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 2008-13 के दौरान 72,944 पूरे किए गए थे। घरों के पूर्ण होने के आंकड़े पूर्णत: विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि इसे सात प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था। आगे, मरम्मत न किए जा सकने वाले कच्चे घरों के अपग्रेडेशन के घटक को लागू ही नहीं किया गया था।

*(अनुच्छेद 2.4.8.1)*

- व्यापक आवासीय सुविधाएं देने के लिए अन्य स्कीमों से कन्वर्जेंस उचित ढंग से नहीं की गई थी।

*(अनुच्छेद 2.4.9)*

- स्कीम की प्रणाली लागू करने के लिए मॉनीटरिंग तथा प्रबंधन सूचना कमजोर थी तथा सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

*(अनुच्छेद 2.4.10.1 से 2.4.10.3 )*

**'सहकारिता विभाग के कार्यचालन'** पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। कुछ मुख्य परिणाम नीचे दिए गए हैं:

- सरकार ने सहकारी समितियों में शेयर पूंजी में ₹ 594.07 करोड़ निवेश किए थे परंतु इन निवेशों से रिटर्न (₹ 1.36 करोड़) नगण्य थे। विभाग ने रिडीमेबल शेयर पूंजी तथा ऋणी समितियों से वसूल की जाने वाली अर्जित ऋण राशि के संबंध में समेकित डाटा नहीं रखा था।

*(अनुच्छेद 2.5.7.6)*

- सहकारी चीनी मिलों के पुनरूद्धार के लिए ₹ 181.87 करोड़ की ब्याज राशि इस शर्त के साथ माफ कर दी गई कि ये लाभ में परिवर्तित होंगी।

*(अनुच्छेद 2.5.7.7)*

- 2008-09 तक 33,766 पंजीकृत समितियां थी जो मार्च 2012 की समाप्ति तक 35,622 तक बढ़ गई थी। विभाग ने 2008-12 के दौरान 41 से 47 प्रतिशत के बीच समितियों की लेखापरीक्षा की। आगे, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अनुपालना, लेखापरीक्षा की गई समितियों के केवल 12 प्रतिशत द्वारा की गई।

*(अनुच्छेद 2.5.8.1 तथा 2.5.8.2)*

- नौ सहकारी चीनी मिलों ने ऋण की शर्तों एवं निबंधनों के उल्लंघन में 2009-10 के दौरान जारी किए गए ₹ 42.50 करोड़ के ऋणों का पुनर्भुगतान आरंभ नहीं किया था। 2010-13 के दौरान सहकारी चीनी मिलों को ₹ 225.90 करोड़ की राशि का ऋण दिया गया था।

*(अनुच्छेद 2.5.9.1)*

- 'राज्य ब्याज सबवैन्शन स्कीम' के अंतर्गत हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड द्वारा की गई हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 7.55 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया जबकि स्कीम प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के ऋणी सदस्यों को ब्याज देयता में राहत प्रदान करने के विचार से आरंभ की गई थी।

*(अनुच्छेद 2.5.9.2)*

- हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने ₹ 7.67 करोड़ राशि के शेयर कैपिटल की रिटायरमैंट के कारण राशि का भुगतान नहीं किया था।

*(अनुच्छेद 2.5.9.3)*

## कंपलायंस लेखापरीक्षा

हरियाणा सिविल विमानन संस्थान के तीन विमानन क्लब 2008 – 13 के दौरान उड़ान के घंटों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही। ₹ 5.36 करोड़ के सहायता अनुदान जारी किए जाने के बावजूद खर्च, आय से ₹ 1.05 करोड़ तक बढ़ गया था। 2007 – 08 के बाद हरियाणा सिविल विमानन संस्थान ने अपने खातों को अंतिम रूप नहीं दिया था, विमान चालकों को अस्वीकार्य भत्तों का भुगतान किया गया था और वरिष्ठ कार्यकारी विमान चालक के पद की स्वीकृति भर्ती के 10 महीनों बाद की गई थी।

*(अनुच्छेद 3.1)*

12,208 हैक्टेयर पंचायत भूमि अतिक्रमण अधीन थी। भूमि उपयोगिता प्लान तैयार नहीं की गई थी। ₹ 3.22 करोड़ का लीज किराया एक से 25 माह की देरी से प्राप्त हुआ। सावधि जमा में राशि के न जमा करवाने के कारण ₹ 79.27 लाख के ब्याज की हानि हुई। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा आठ मामलों में ₹ 2.39 करोड़ की एन्यूटी का भुगतान नहीं किया गया।

*(अनुच्छेद 3.4)*

राज्य सरकार ने दिसंबर 2011 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान 1,73,907 अपात्र गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारकों को गेंहूं प्रदान करने के लिए ₹ 2.02 प्रति किलोग्राम की दर पर सब्सिडी पर ₹ 18.59 करोड़ का परिहार्य व्यय किया था।

*(अनुच्छेद 3.5)*

मॉनीटरिंग के अभाव में 913 वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण के अधीन थी, 1,281 वक्फ संपत्तियों के विरूद्ध ₹ 3.97 करोड़ का लीज किराया बकाया था, लीज किरायों को 20 वर्षों से संशोधित नहीं किया गया था। वक्फ संपत्तियों का म्यूटेशन, केन्द्रीय कम्प्यूटिंग सुविधाओं तथा सर्वेक्षण को पूर्ण नहीं किया गया।

*(अनुच्छेद 3.7)*

सिंचाई विभाग के दो मंडलों के बीच समन्वय की कमी के कारण ₹ 15.97 करोड़ की लागत से निर्मित एक माइनर अप्रयुक्त रही।

***(अनुच्छेद 3.10)***

₹ 213.18 करोड़ विविध लोक निर्माण अग्रिमों में बकाया थे जो कि मुख्यत: सामग्री/सेवा की प्राप्ति के बाद भी, अग्रिमों के असमायोजन ₹ 127.62 करोड़, ठेकेदारों से ₹ 27.51 करोड़ तथा अधिकारियों/कर्मचारियों से ₹ 1.55 करोड़ की वसूली न करने के कारण थे।

***(अनुच्छेद 3.14)***

लाभग्राहियों को ₹ 238.37 करोड़ की वार्षिकी भुगतान जारी करने में देरी थी। पुनरूद्धार तथा पुनर्वास नीति के अनुरूप प्लाट/वाणिज्यिक स्थल विस्थापित भू-स्वामियों को आबंटित नहीं किए गए थे तथा सामुदायिक विकास ढांचे का निर्माण नहीं किया गया था।

***(अनुच्छेद 3.15)***

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने प्रयोगकर्त्ता विभागों से सहमति प्राप्त किए बिना विभिन्न भवनों का निर्माण किया। ₹ 30.82 करोड़ की लागत पर निर्मित 34 भवन तथा ₹ 13.99 करोड़ की लागत से निर्मित 416 बूथ, कायोस्क तथा शाप-कम-आफिस खाली पड़े थे। इसके अतिरिक्त, आडिटोरियम भवन का ₹ 9.33 करोड़ का पट्टा किराया वसूल नहीं किया गया था।

***(अनुच्छेद 3.16)***

मानीटरिंग की कमी के कारण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित 1,323.83 एकड़ भूमि अतिक्रमण अधीन थी तथा 4,921.69 एकड़ भूमि किसानों द्वारा अधिगृहीत खेती के अधीन थी।

***(अनुच्छेद 3.17)***

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र और भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन क्लियरेंस प्राप्त न करने से ₹ 11.05 करोड़ की लागत पर निर्मित सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट अप्रैल 2010 से निष्क्रिय पड़ा था।

***(अनुच्छेद 3.19)***

मनमाने ढंग से चुने गए 14 कोचिंग संस्थानों के माध्यम से उच्चतर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए अनुसूचित जातियां/पिछड़े वर्गो के 9,906 प्रशिक्षार्थियों को कोचिंग प्रदान करने पर विभाग ने ₹ 5.22 करोड़ व्यय किए। योग्यता की जांच किए बिना और यह सुनिश्चित किए बिना कि कोचिंग वास्तव में दी गई थी या नहीं, भुगतान कर दिया गया।

***(अनुच्छेद 3.21)***